छत्तीसगढ़ की प्रथम विधान सभा
प्रथम सत्र

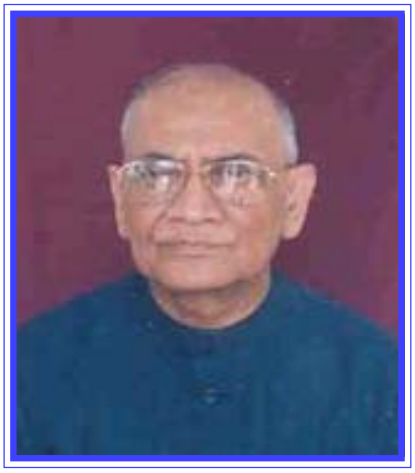

श्री दिनेश नंदन सहाय

राज्यपाल, छत्तीसगढ़

का

अभिभाषण

दिनांक 15 दिसम्बर, 2000

माननीय सदस्यगण,

नए छत्तीसगढ़ राज्य की पहली विधानसभा के उद्घाटन सत्र के इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन से लगभग दो करोड़ लोगों का पीढ़ियों से संजोया हुआ सपना साकार हुआ है और राज्य की जनता के दिलों में तरक्की और खुशहाली की नई उम्मीदें जागी हैं एक तरफ नये राज्य की जनता के लिये नई उम्मीदों का सूर्योदय है तो दूसरी ओर यह उनके द्वारा चुने हुए नुमाइन्दों के लिए अपनी जिम्मेदारियों को और अधिक सुगमता से पूरा करने का अवसर भी है।

2. मेरी सरकार नए राज्य की पहली सरकार है। माननीय सदस्यगण, छत्तीसगढ़ राज्य के गठन की पृष्ठभूमि से आप सब भलीभांति परिचित हैं। राज्य पुनर्गठन कानून के विभिन्न प्रावधानों के अधीन छत्तीसगढ़ के हितों के संरक्षण के प्रति मेरी सरकार पूरी तरह सजग है। अविभाजित राज्य से छत्तीसगढ़ की प्राप्तियों के बारे में किसी भी तरह से राज्य का अहित न हो, इसके लिए हाल ही में अन्तरराज्यीय समन्वय समिति के गठन की पहल भी की गई है। मेरी सरकार की मान्यता है कि बंटवारे की प्रक्रिया पूरी तरह सौहार्द्रपूर्ण और आपसी सहमति के आधार पर होगी।

3. मेरी सरकार ने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के सफर में **'सादगी के साथ जनसेवा'** का संकल्प लिया है। आम जनता की बेहतरी के लिये एक नई कार्य संस्कृति विकसित की जायेगी। इस नई कार्य संस्कृति में जनसेवा के लिये प्राथमिकतायें भी तय कर दी गई हैं।

4. मेरी सरकार ने जनता के खून–पसीने की कमाई के महत्व को समझा है और अनुत्पादक व्ययों को हतोत्साहित करने की सराहनीय नीति बनाई है। पूर्व के 50 विभागों की व्यवस्था को 18 समूहों में समेट लिया है। मंत्रियों के स्टॉफ में महत्वपूर्ण कटौती की गई है।यह संकल्प लिया गया है कि कुल राजस्व का अधिकतम 40 प्रतिशत ही स्थापना में व्यय किया जायेगा। मेरी सरकार राज्य की जमीनी जरूरतों से शासन की नीतियों को जोड़ना चाहती है और इसी के अनुरूप नयी औद्योगिक नीति, नई शिक्षा नीति, नई कृषि नीति, नई ऊर्जा नीति, नई खनिज नीति, नई वन नीति आदि बनाना चाहती है, जिसकी पहल हो चुकी है।

5. छत्तीसगढ़ राज्य भयावह सूखे की चपेट में है। राज्य के सूखा पीड़ित लाखों किसानों और खेतिहर मजदूरों को राहत और रोजगार दिलाना, फिलहाल मेरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अल्प वर्षा से प्रदेश के 11 जिलों की 49 तहसीलें सूखे की चपेट में आई हैं। इससे लगभग 69 लाख व्यक्ति प्रभावित हुए हैं। मेरी सरकार ने जरूरतमंद लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये विभिन्न विभागों के उपलब्ध आवंटन तथा अन्य संसाधनों का कारगर इस्तेमाल करने के निर्देश जारी किए हैं। मेरी सरकार के अनुरोध पर केन्द्रीय अध्ययन दल ने राज्य का दौरा कर सूखे की स्थिति का आकलन किया है और राज्य

के आकलन से केन्द्रीय दल सहमत है। सूखे की विपदा से निबटने के लिए मेरी सरकार ने केंद्र सरकार से 570.62 करोड़ रू. की मांग की है। उम्मीद है कि केन्द्र सरकार छत्तीसगढ़ की सूखे की समस्या को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक मदद करेगी।

6. जहां मेरी सरकार का मानना है कि हर जरूरतमंद मजदूर को उसकी सहूलियत से रोजगार मिलना चाहिए, वहीं यदि किन्हीं कारणों से लोग रोजगार की तलाश में अपना गांव–घर छोड़कर दूसरे प्रदेशों में मजदूरी करने जाते हैं, तो उनका शोषण नहीं होना चाहिए। इस स्थिति से निबटने के लिये मेरी सरकार ने पलायन करने वाले मजदूरों के हितों के संरक्षण का कानून बनाने का निर्णय लिया है।

7. छत्तीसगढ़ प्रदेश को साल–दर–साल पड़ने वाली, सूखे की मार से बचाने का दीर्घकालीन और शाश्वत् उपाय सिंचाई सुविधाओं का विस्तार है। मेरी सरकार ने कार्यभार सम्हालने के बाद महसूस किया है कि राज्य में सिंचाई क्षमता का पूरा दोहन नहीं हो पा रहा है। आज प्रदेश में सिंचित रकबा मात्र 16 प्रतिशत है जबकि प्रबल इच्छा शक्ति से यह 75 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है। सिंचाई को प्राथमिकताओं में सर्वोच्च स्थान दिया गया है। सिंचाई क्षमता में वृद्धि से न केवल किसान खुशहाल होगा बल्कि खेतिहर मजदूरों को सुनिश्चित रोजगार भी उपलब्ध हो सकेगा, और कृषि आधारित उद्योग भी पनपेंगे।

8. मेरी सरकार ने अपूर्ण सिंचाई योजनाओं को पूर्ण कराने के लिए एक 'शेल्फ ऑफ प्रोजेक्टस' निर्धारित कर अधोसंरचना विकास के लिए नाबार्ड जैसी संस्थाओं से और अधिक वित्तीय मदद लेने का निर्णय लिया है। प्रदेश में बारिश के पानी को बरबाद होने से बचाने तथा उसका उपयोग उद्‌वहन सिंचाई योजना हेतु करने के लिए भी मेरी सरकार संकल्पबद्ध है। सिंचाई के इस ढंग से काफी कम लागत में सिंचाई की सुविधाएं बढ़ाई जा सकती हैं।

9. इस दिशा में मेरी सरकार ने अपनी प्रतिबद्धताओं को कार्य रूप में परिणित करने का जो कार्य प्रारंभ किया गया है उसमें से एक महत्वपूर्ण फैसला है, सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि के लिए हसदेव बांगो वृहद सिंचाई परियोजना का निर्माण पूर्व निर्धारित समय सीमा से एक वर्ष पहले सन् 2003 तक पूरा करने का। इस अधूरी योजना को पूर्ण करने पर लगभग 1,29,000 हेक्टेयर सिंचाई की अतिरिक्त क्षमता निर्मित होगी। इस प्रकार यह परियोजना इस पिछड़े तथा बार–बार सूखे से प्रभावित क्षेत्र के लिए एक वरदान होगी। युद्धस्तर पर कार्य होने से इस परियोजना में हजारों खेतिहर मजदूरों को पर्याप्त रोजगार दिया जा सकेगा।

10. मेरी सरकार सूखे के संदर्भ में पेयजल की समस्या के निराकरण के लिए वचनबद्ध है और मानती है कि हर गांव में उसकी स्वयं की 'गंगा' होनी चाहिए। इसलिए राज्य के प्रत्येक विद्युतीकृत गांव में 'इंदिरा गांव गंगा योजना' प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। योजना के अंतर्गत राज्य के ऐसे गांवों में पेयजल

और निस्तारी उपयोग के लिए कम से कम एक नियमित जल–स्रोत विकसित किया जाएगा, जो शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के साथ, कम से कम एक तालाब को भरने की क्षमता रखता हो, परन्तु ऐसा करते समय पर्यावरण और जल संसाधनों के संतुलन का पूरा ध्यान रखा जाएगा।

11. मेरी सरकार ने जनस्वास्थ्य को भी अपनी उच्च प्राथमिकता की श्रेणी में लिया है। इस वर्ष मलेरिया के प्रकोप की रोकथाम के लिए तमाम संसाधनों को गतिशील करने के अलावा सभी विभागों के समन्वय से मैदानी स्तर पर व्यापक अभियान छेड़ा गया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि मलेरिया के मरीजों के लिये दवाईयों की कमी नहीं होने दी जायेगी। मलेरिया के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम साल भर चलाया जायेगा। इसके लिए मलेरिया नियंत्रण संबंधी ढांचे को पुनर्जीवित करने हेतु केन्द्र को प्रस्ताव भेजा जा रहा है। राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को वांछित स्तर तक लाने हेतु एक नई स्वास्थ्य नीति बनाई जा रही है।

12. मेरी सरकार मानती है कि दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं को समुचित रूप से पहुंचाया जाना आवश्यक है। आधुनिक चिकित्सा और विशेषज्ञ शिक्षा अर्जित डॉक्टरों की ग्रामीण क्षेत्रों में कमी को देखते हुए, ग्रामीण अंचल की आवश्यकताओं के लिए युवाओं को छोटी–बड़ी बीमारियों के फैलाव को प्रारंभिक चरण में रोकने के लिए आवश्यक चिकित्सा शिक्षा प्रदान की जावेगी। मेरी सरकार ने राज्य में तीन वर्षीय चिकित्सा शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम प्रस्तावित है। पाठ्यक्रम के निर्धारण हेतु विशेषज्ञों की समिति भी गठित की गयी है। इस पाठ्यक्रम की गुणवत्ता और मान्यता के लिए छत्तीसगढ़ चिकित्सा परिषद् का गठन किया जायेगा।

13. छत्तीसगढ़ में आधुनिक पांच वर्षीय चिकित्सा शिक्षा के विस्तार के लिये भी आवश्यकतानुसार चिकित्सा महाविद्यालय एवं अन्य संस्थाएं खोलने की कार्यवाही की जायेगी। जहां तक संभव हो इसके लिए निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। रायपुर के मेडिकल कालेज के उन्नयन के साथ–साथ संस्था में नये विषयों के पाठ्यक्रम शुरू करने का भी प्रस्ताव है। मेरी सरकार राज्य में अत्याधुनिक मानसिक चिकित्सालय की स्थापना हेतु विचार कर रही है। राज्य में उपलब्ध बेशुमार जड़ी–बूटियों के वैज्ञानिक तरीके से उत्पादन में वृद्धि तथा बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के लिये भारत सरकार के सहयोग से एक अत्याधुनिक आयुर्वेदिक फार्मेसी एवं ड्रग टेस्टिंग (दवा परीक्षण) केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव तैयार किया जायेगा।

14. मेरी सरकार की यह स्पष्ट धारणा है कि सड़क, सिंचाई, बिजली और संचार जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होने पर ही छत्तीसगढ़ का समग्र विकास संभव है। इस कार्य के लिए दीर्घकालीन योजना तथा वृहत पूंजी निवेश की आवश्यकता को देखते हुए अधोसंरचना विकास प्राधिकरण गठित करने का निर्णय भी लिया गया है। विदेशी विनिवेश को बढ़ावा देने और विनिवेशकों की समस्याओं के निराकरण के लिए एक 'स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ग्रुप' (व्यूहरचना प्रबंधन समूह) का गठन किया गया है।

15. मेरी सरकार मानती है कि छत्तीसगढ़ के सभी जिलों की राज्य के विकास में समान भागीदारी हो। इसके लिये राज्य में अच्छी सड़कों का जाल आवश्यक है। प्रदेश के जिलों से राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क कार्यक्रम के लिए केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं और शीघ्र ही इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सड़क निर्माण प्रारंभ हो सकेगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन और यातायात सुविधाएं तो बढ़ेंगी ही, साथ ही वर्तमान सूखे की स्थिति में रोजगार भी उपलब्ध हो सकेगा।

16. विगत एक माह में तीन नये राष्ट्रीय राजमार्ग सिमगा–कवर्धा–चिल्फी, रायगढ़–सारंगढ़–सराईपाली और आरंग–महासमुंद–खरियार रोड घोषित किये गये हैं। इसके अलावा तीन अन्य सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का प्रस्ताव केन्द्र को भेजने का निर्णय लिया गया है। ये बिलासपुर–अम्बिकापुर–रामानुजगंज, रायगढ़–धर्मजयगढ़–पत्थलगांव और जगदलपुर–सुकमा–कोंटा मार्ग हैं। मेरी सरकार ने रायपुर–भिलाई तथा रायपुर–बिलासपुर मार्ग को चार लेन करने तथा पत्थलगांव–रायगढ़ मार्ग के मजबूतीकरण का कार्य बी.ओ.टी. प्रणाली से निजी पूंजी निवेश के जरिये कराने का निर्णय लिया है। इन मार्गों पर निजी पूंजी निवेश के कारण बजट प्रावधानों और केन्द्रीय सहायता की राशियों का उपयोग अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों पर हो सकेगा।

17. मेरी सरकार ने अनुसूचित जनजातियों से जुड़े विकास के पहलुओं के अध्ययन और परामर्श के लिए कार्यभार सम्भालते ही छत्तीसगढ़ जनजाति आयोग का गठन किया है। आदिवासी विकास और कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्ति अथवा संगठन को दो लाख रू. का शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति पुरस्कार प्रदान करने का भी निर्णय लिया है। वर्ष 2000 के लिए यह पुरस्कार नारायणपुर–बस्तर में कार्यरत् संस्था रामकृष्ण मिशन आश्रम को दिया गया।

18. आई.एफ.ए.डी. पोषित आदिवासी विकास कार्यक्रम से संबंधित योजना प्रदेश के सरगुजा, जशपुर और रायगढ़ जिलों के 9 विकासखण्डों में कुल लागत 140 करोड़ रूपयों से आगामी 8 वर्षों में लागू की जाएगी। अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अल्पसंख्यक समुदायों और समाज के अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याणकारी कार्यक्रमों को मेरी सरकार संवेदनशीलता के साथ लागू करेगी। इन वर्गों के मानव विकास सूचकांक को सामान्य सूचकांक की बराबरी पर लाने के लिए कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में गुणवत्ता सुधारी जाएगी। विभागीय गतिविधियों के लिए एकाधिक निगम न रखते हुए एक समग्र निगम गठित होगा जिसमें कम प्रशासनिक व्यय में उच्च कोटि की सेवाएं कमजोर वर्गों को मुहैया की जा सकें। राज्य में दलितों का उत्थान तथा उन्हें समाज में प्रतिष्ठित स्थान दिलाने के लिए मेरी सरकार वचनबद्ध है। इस दिशा में सार्थक पहल करते हुए 'गुरू घासीदास सामाजिक चेतना तथा दलित उत्थान पुरस्कार' की राशि बढ़ाकर दो लाख रूपए कर दी गई है, जो सामाजिक चेतना जागृत करने वाले व्यक्ति या संगठन को प्रदान की जाएगी।

19. आज के युग में बिजली की उपलब्धता और उपभोग, तेज गति से विकास की पहली शर्त है। मेरी सरकार इस बात को काफी गंभीरता से महसूस करती है कि नये राज्य में विद्युत व्यवस्था के कायाकल्प की आवश्यकता है। इसलिए नये राज्य के अस्तित्व में आने के कुछ ही दिनों में छत्तीसगढ़ बिजली बोर्ड का गठन किया गया और दिनांक एक दिसम्बर से नए मण्डल ने कार्य शुरू कर दिया है। अब मेरी सरकार ने सकारात्मक ऊर्जा नीति बनाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया है कि, छत्तीसगढ़ की औद्योगिक इकाईयां अगर चाहें तो उन्हें अपनी आवश्यकताओं के लिए स्वयं की केप्टिव विद्युत उत्पादन इकाईयां लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

20. राज्य के दूर–दराज गांवों तक विद्युत–सुविधाओं का विस्तार, मेरी सरकार की विशेष प्राथमिकता होगी। यह भी निर्णय लिया गया है कि यदि राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के उपरांत कोई आधिक्य हो, तो ऐसी बिजली अन्य राज्यों को निर्यात की जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य से प्राप्त होने वाला विद्युत–राजस्व तत्काल प्रभाव से राज्य में ही जमा कराया जाने लगा है, जो कि राज्य की विद्युत विकास की परियोजनाओं में प्राण का संचार करेगा।

21. विद्युत उत्पादन में निजी निवेश की परियोजनाओं को लागू करने में, नए राज्य के गठन से एक नया अवसर मिला है और मेरी सरकार की यह कोशिश होगी कि ऐसी लंबित परियोजनाओं को नए सिरे से स्फूर्ति प्रदान करे।

22. छत्तीसगढ़ के गर्भ में उपलब्ध अपार खनिज संसाधनों के, पर्यावरण से संतुलन रखते हुए, सन्तुलित दोहन को नई दिशा देने के लिये, मेरी सरकार नई खनिज नीति तैयार कर रही है। नीति में खनिजों के सुनियोजित खनन और व्यापार के लिये आवश्यक प्रणालियों और संस्थागत प्रक्रियाओं का समावेश होगा। साथ ही मेरी सरकार का यह भी प्रयास होगा कि, ऐसे उद्योग अपने ग्रामीण परिवेश के विकास में निरंतर सहयोग प्रदान करें। खनिज पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक रणनीति का समावेश इसमें होगा। मेरी सरकार ने खनिज राजस्व को बढ़ावा देने के लिए कोयला खनिज की रायल्टी बढ़ाने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है। प्रदेश में ऐसी खदानें जिनका दोहन पूर्ण हो चुका है, उनमें पर्यावरण एवं जल संरक्षण की योजना बनाई जा रही है।

23. छत्तीसगढ़ में वन और वनोपज की विपुलता है। प्रदेश के गरीब और कमजोर वर्गों का एक अच्छा–खासा प्रतिशत वनों पर अपनी आजीविका के लिए आश्रित है। मेरी सरकार की मान्यता है कि इन वर्गों के उत्थान और पर्यावरण के संतुलन के लिए वन और जन का समन्वित विकास, राज्य की वानिकी नीति का केन्द्र–बिन्दु होना चाहिए। इस दिशा में शीघ्र ही नई वन–नीति जारी की जायेगी। वनों के समग्र विकास के लिए बाह्य सहायता की योजना बनाई जाएगी और प्रदेश के लिए पृथक 'विश्व–खाद्य कार्यक्रम' लागू किया जाएगा।

24. वन्य प्राणी संरक्षण की योजना बनाने की कार्यवाही मेरी सरकार ने शुरू कर दी है और इसमें परामर्श के लिए एक वन्य प्राणी संरक्षण सलाहकार मण्डल भी गठित किया गया है।

25. लघु वनोपजों का संतुलित दोहन सुनिश्चित करने के लिए उनके संग्रहण में लगने वाली मेहनत का सही आंकलन आवश्यक है। मेरी सरकार को यह गौरव हासिल है कि उसने सर्वप्रथम तेंदूपत्ता को छोड़कर अन्य सभी लघु वनोपजों का समर्थन मूल्य तय करने का निर्णय लिया है। इस काम में परामर्श के लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित की गई है। छत्तीसगढ़ से लगे अन्य वनाच्छादित राज्यों से लघु वनोपज व वानिकी नीति में सामंजस्य की पहल भी मेरी सरकार प्राथमिकता से करेगी। जनभागीदारी को बढ़ावा देने के लिए वन समितियों का गठन वनांचल की जनता स्वप्रेरणा से करेगी।

26. प्रचलित वन संरक्षण नीतियों और कानूनों से वनांचलों की गोद में बसे हुए लोगों को विकास से जोड़ने की कठिनाईयों को मेरी सरकार महसूस करती है, परन्तु इस व्यवस्था में वांछित परिवर्तन के लिए अन्य राज्यों की सहभागिता की आवश्यकता भी है। मेरी सरकार ने इस दिशा में प्रयास प्रारंभ कर दिए हैं।

27. मेरी सरकार संतुलित और शाश्वत् विकास के प्रति गंभीर है और ऐसा विकास पर्यावरण से सामंजस्य बिठाए बगैर संभव ही नहीं है। पर्यावरण की प्रचलित प्रशासकीय व्यवस्था को एक नया आयाम देने की दृष्टि से पर्यावरण विभाग का दायरा, संकुचित नगरीय परिप्रेक्ष्य से बढ़ाकर, इसे ग्रामीण और वन क्षेत्र पर भी प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्णय लिया गया है। मेरी सरकार की यह भी मान्यता है कि प्रदेश की पर्यावरण नीति, विभिन्न आर्थिक व सामाजिक क्षेत्रों के लिए बनाई जा रही राज्य की नीतियों का महत्वपूर्ण भाग होना चाहिए। प्रदूषण में कमी तथा नियंत्रण के लिए मेरी सरकार यह देखेगी कि किस तरह प्रचलित प्रशासकीय नियंत्रण प्रणालियों के स्थान पर, बाजार आधारित नीतियों का उपयोग किया जा सकता है। ऐसी नीतियां विकसित राष्ट्रों में सफलतापूर्वक लागू की गई हैं।

28. सत्ता के विकेन्द्रीकरण और विकास में जनभागीदारी में मेरी सरकार का अटूट विश्वास है। संविधान के 73वें और 74वें संशोधन, और अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत राज व्यवस्था के विस्तार अधिनियम के प्रावधानों, को सशक्त रूप से लागू करने को जारी रखा जायेगा। पंचायत राज संस्थाओं और नगरीय निकायों को और कौन से अधिकार और दायित्व सौंपे जा सकेंगे, इन पर विचार किया जाएगा। साथ ही, निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा ऐसे अधिकारों के दुरूपयोग और संस्थाओं द्वारा जिम्मेदारियों के प्रति विमुखता के मामलों से सख्ती से निबटने के लिए आवश्यक संस्थागत इंतजाम किए जाएंगे। पंचायतों में आधुनिक कार्य प्रणालियां लागू किए जाने की दिशा में पहल होगी। मेरी सरकार सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से मंत्रालय से ग्राम पंचायतों तक की दूरी को पाटने का काम भी हाथ में लेगी।

29. विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया लोकतंत्र की मजबूती के लिए है, उसे कमजोर करने के लिए नहीं। जनभागीदारी के नवीन प्रयोगों को बढ़ावा देने में मेरी सरकार पीछे नहीं रहेगी, परन्तु इन प्रयोगों से लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवैधानिक मान्यता प्राप्त संस्थाओं को कमजोर भी नहीं किया जाएगा। विकास हेतु जनता स्वयं पहल करे, यह मेरी सरकार को मंजूर है, परन्तु इस आड़ में निहित स्वार्थी तत्वों को जनसमुदायों पर हावी नहीं होने दिया जाएगा।

30. पंचायती राज के जरिये ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर मेरी सरकार विशेष रूप से ध्यान देगी। इसके लिए वर्तमान में चल रही जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, इंदिरा आवास योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना, ग्रामीण आवास–ऋण– सह–अनुदान योजना, जैसी नौ महत्वपूर्ण योजनाओं को और भी अधिक कारगर ढंग से लागू किया जायेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक संख्या में गरीब–परिवारों को विभिन्न व्यवसायों के लिए आर्थिक सहायता दी जायेगी।

31. प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण में छत्तीसगढ़ राज्य ने अब तक जो प्रगति की है उसे आगे बढ़ाये जाने के साथ–साथ उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने पर जोर देने का वक्त आ चुका है। मेरी सरकार शिक्षा के हर स्तर पर निजी भागीदारी को प्रोत्साहन देने का प्रयास जारी रखेगी। आधुनिक वैश्वीकरण के युग में शिक्षा के स्तर को पूरे देश की प्रथम पंक्ति के राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए छत्तीसगढ़ को लम्बी दूरी तय करना है। मेरी सरकार ने इस दिशा में पहल करते हुए यह निर्णय लियाा है कि अभिभावकों की मांग पर शासकीय प्राथमिक शालाओं में पहली कक्षा से अंग्रेजी और हिन्दी के साथ संस्कृत अथवा उर्दू भाषा सिखाने की व्यवस्था अगले शैक्षणिक वर्ष से लागू किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक शिक्षकों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम शीघ्र ही प्रारंभ किया जाएगा। यह भी प्रयास किया जायेगा कि प्राथमिक स्तर की शिक्षा को सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से रोचक बनाया जाए और छत्तीसगढ़ की उदयमान पीढ़ी आगे चलकर इस तकनीक का सहजता से उपयोग कर सके।

32. मेरी सरकार माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर निजी भागीदारी से सूचना प्रौद्योगिकी की शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराएगी। इसे प्रारंभ में ऐच्छिक तौर पर लागू किया जाएगा, परन्तु गरीब परिवार की बालिकाओं को इस अवसर का लाभ देने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। मेरी सरकार ने **'इंदिरा सूचना–शक्ति योजना'** के नाम से लागू इस सुविधा का लाभ शासकीय विद्यालयों की कक्षा नौंवीं से बारहवीं तक की अनुमानित एक लाख बालिकाओं को देने का निर्णय लिया है। ज्ञान के युग में सूचना की शक्ति से छत्तीसगढ़ की बालिकाओं को आत्म–निर्भर बनाने और उनमें आत्मविश्वास के संचार की दृष्टि से मेरी सरकार की पहल अनुकरणीय है।

33. मेरी सरकार का संकल्प है कि छत्तीसगढ़ को उच्च शिक्षा और शोध के क्षेत्र में गुणवत्ता का पर्याय बनाया जाए। विश्व स्तर का शैक्षणिक वातावरण निर्मित करने में मेरी सरकार खुद तो निवेश करेगी ही, साथ

ही निजी निवेश को बढ़ावा देगी और छत्तीसगढ़ से लगाव रखने वाले अनिवासी भारतीयों की भी मदद लेगी। शिक्षाविदों और वैज्ञानिक समुदाय की भागीदारी के बिना गुणवत्ता के शिखर पर पहुंचना संभव नहीं है। छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् के गठन का भी निर्णय लिया गया है। यह प्रयास किया जाएगा कि राष्ट्रीय–अन्तरराष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविदों और वैज्ञानिकों को प्रदेश की शैक्षणिक संस्थाओं की गतिविधियों से जोड़ा जाए।

34. भारत के मध्य–पूर्वी भू–भाग में छत्तीसगढ़ को शिक्षा जगत की धुरी के रूप में विकसित करने की दिशा में प्रदेश की नई शिक्षा नीति भी शीघ्र ही तैयार की जाएगी। मेरी सरकार रोजगारमूलक शिक्षा को प्राथमिकता देगी और ऐसे पाठ्यक्रम जो वर्तमान युग में रोजगार की दृष्टि से गैर–उपयोगी है, को समाप्त कर नए पाठ्यक्रम लागू किए जाएंगे। मेरी सरकार केन्द्र सरकार से आग्रह कर रही है कि मध्य–पूर्वी क्षेत्र में उच्च तकनीकी शिक्षा के उन्नयान के लिए आई.आई.टी.(भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान्) और आई.आई.आई.टी. (भारतीय सूचना प्रौद्योगिक संस्थान्) की स्थापना करे। इसके लिए मेरी सरकार सभी आवश्यक सहयोग देगी।

35. यह मेरी सरकार के लिए गौरव का विषय है कि छत्तीसगढ़ लोक–कलाओं का स्वर्ग है। छत्तीसगढ़ की माटी में संस्कृति के खूबसूरत रंग तथा खुशबू समाई हुई है। सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने की नीति में ऐसी तमाम बातों का समावेश होगा, जो स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करे तथा छत्तीसगढ़ की संस्कृति को पूरी दुनिया में अद्वितीय रूप से उभारें। राज्य के प्राचीन स्मारकों, देशज ज्ञान पद्धति, नृत्य, गायन, वाद्य, अभिनय की लोक परम्पराओं के संरक्षण तथा संवर्धन हेतु भी आवश्यक योजना बनाई जायेगी। मेरी सरकार ने राज्य में लोक सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए लोक कला पुरस्कारों की घोषणा की है जो प्रतिवर्ष राज्य स्तरीय लोक कला महोत्सव में, एक लाख रूपए के प्रथम पुरस्कार, 50 हजार रूपए के दूसरे तथा 25 हजार रूपए के तीसरे पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा।

36. छत्तीसगढ़ के आर्थिक विकास और सामाजिक संरचना में कृषि और उससे जुड़ी अन्य गतिविधियों के महत्व को दोहराने की आवश्यकता नहीं है। सिंचाई के संबंध में मेरी सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों और भावी रणनीतियों का जिक्र किया जा चुका है। यह चुनौती है कि, किस प्रकार कृषि में धान पर अत्यधिक निर्भरता को कम किया जाए तथा किस प्रकार कम पानी वाली फसलों, उद्यानिकी और सब्जियों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा अब तक किए गए शोध कार्यों का और विश्वविद्यालय से कृषक जगत को मिले लाभ का मूल्यांकन करवाया जाएगा। इस दिशा में सुधार के लिए आवश्यक प्रभावी कदम उठाये जाएंगे। छत्तीसगढ़ के कई आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल न होना जैविक खेती को बढ़ावा देने के मायने में वरदान भी है। इन सम्भावनाओं के विकास के लिए मेरी सरकार एक कार्य योजना भी बनाएगी।

37. कृषि विस्तार कार्यक्रमों की भी गहन समीक्षा की जाएगी और विस्तार व्यवस्था में सुधार को नई कृषि नीति में महत्व दिया जायेगा। इस दिशा में पहल करते हुए मेरी सरकार ने कार्यभार सम्भालते ही 'छत्तीसगढ़ किसान आयोग' का गठन किया है। यह आयोग छत्तीसगढ़ के किसानों और खेतिहर मजदूरों की खुशहाली के उपायों की अनुशंसा करेगा।

38. मेरी सरकार चाहती है कि प्रदेश के किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिले और पारदर्शी बाजार व्यवस्था का वे लाभ ले सकें। इन उद्देश्यों के लिए मण्डी प्रक्रिया सुधार की दिशा में कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

39. छत्तीसगढ़ में असंख्य पशु तो उपलब्ध हैं परन्तु इसे पशुधन में तब्दील करने के लिए पशु नस्ल संवर्धन, पशु स्वास्थ्य रक्षा, दुग्ध विकास, चारा विकास इत्यादि के लोकोपयोगी कार्यक्रमों को समग्र रूप से लागू करने की आवश्यकता है। पशुधन हमारे ग्रामीण जनजीवन में समृद्धि लाएं और साथ ही प्रदेश के उपभोक्ता केन्द्रित शहरों की मांग की आपूर्ति भी सुनिश्चित हो, इस दिशा में मेरी सरकार एक कार्य योजना बना रही है जिसे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एन.डी.डी.बी.) आनंद, के सहयोग से लागू करने की कार्यवाही की जाएगी।

40. मेरी सरकार राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, मधुमक्खी पालन इत्यादि की भरपूर संभावनाओं को बढ़ावा देने की नई रणनीति तैयार करेगी। वर्तमान में प्रायोगिक तौर पर बिलासपुर संभाग में जापानी सहयोग से संचालित रेशम परियोजना के प्रदेश के सभी उपयुक्त क्षेत्रों में विस्तार के लिए कार्यक्रम तैयार किया जायेगा।

41. मेरी सरकार खाद्य सुरक्षा के प्रति गंभीर है। उसने किसानों को प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य दिलवाने के लिए नई लेव्ही नीति लागू की है। प्रदेश में बंद पड़ी चावल मिलों को चालू करवाने में पहल करते हुए प्रदेश के उपभोक्ताओं को आवश्यकतानुसार खाद्यान्न उपलब्ध करवाने और मिल मजदूरों को रोजगार दिलवाने के लिए इस नीति में लेव्ही ऐच्छिक रूप से दी जा सकेगी, परन्तु यदि लेव्ही दी जाती है तो उसमें अरवा चावल और उसना चावल को आनुपातिक दर पर अनिवार्य रूप से लिया जाएगा।

42. सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुलभता से खाद्य सामग्री प्रदाय का जरिया बनाने के लिए मेरी सरकार अपनी खाद्य नीति में खाद्यान्न उपलब्धता खाद्यान्न तक आसान पहुंच और खाद्यान्न उपभोग की सामर्थ्यता के लिए समुचित प्रावधान करेगी। खाद्यान्न वितरण में अनियमितताओं की शिकायतों को गम्भीरता से लिया जायेगा और ऐसे प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही में होने वाली कठिनाईयों को दूर करने की प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी।

43. निजीकरण और वैश्वीकरण के दौर में भी सहकारी आंदोलन में निहित ऊर्जा, और उससे छोटे और सीमान्त कृषकों और उत्पादकों की एकता से उद्‌भूत होने वाली सम्बलता, को नकारा नहीं जा सकता। मेरी सरकार सहकारिता आंदोलन को और अधिक सशक्त करने के लिए ढांचागत सुधारों पर ध्यान देगी। पिछले कई वर्षों में सहकारिता के क्षेत्र में शीर्षस्थ संस्थाओं की संख्या बढ़ी है, मेरी सरकार की सोच है कि जहां तक सम्भव हो, कुछ शीर्षस्थ संस्थाओं को एकजुट किया जाए ताकि उनके उद्‌देश्यों की पूर्ति कम प्रशासनिक खर्चे में हो सके और घाटे में चलने वाली संस्थाओं को ऐसी आर्थिक स्थिति से उबारा जाए।

44. छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक को कार्यशील बनाने के लिए मैदानी स्तर की सहकारी संस्थाओं और जिला स्तर की केन्द्रीय सहकारी बैंकों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। मेरी सरकार नवगठित जिलों में पृथक जिला सहकारी बैंक स्थापित करने के औचित्य का परीक्षण करेगी। सक्षमता और खातेदारों को बैंकिंग सुविधा ही आकलन का मूल आधार होगा।

45. मेरी सरकार छत्तीसगढ़ की युवा शक्ति को राज्य के विकास के लिए अनिवार्य मानव संसाधन मानती है। इस संसाधन के उपयोग के लिए युवाओं की रचनात्मक ऊर्जा की पहचान करने के साथ, उसे उचित मार्गदर्शन तथा अवसर भी प्रदान करना होगा। इस कार्य को प्राथमिकता के साथ करने के लिए मेरी सरकार ने 'छत्तीसगढ़ युवा आयोग' का गठन किया है जो युवा हित के सभी पहलुओं पर व्यापक विचार–विमर्श कर अपने सुझाव देगा। आयोग ने अपना अंतरिम प्रतिवेदन सौंप दिया है।

46. छत्तीसगढ़ में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है, केवल उन्हें प्रोत्साहन, प्रशिक्षण और सुविधाएं उपलब्ध कराने पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है। मेरी सरकार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में खेलों और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए राज्य की खेल नीति में प्रावधान करेगी।

47. नागरिकों की हिफाजत और उनके विकास के लिए उचित वातावरण के निर्माण हेतु मेरी सरकार की प्रतिबद्धता 'बचपन' की यथोचित साज–संवार से प्रारंभ हो जाएगी। मेरी सरकार स्वास्थ्य कार्यक्रमों को कारगर बनाकर जहां शिशु मृत्यु–दर को नियंत्रित करेगी,वहीं बच्चों की रचनात्मकता तथा सृजनात्मकता को बढ़ाने के लिए जरूरी प्रोत्साहन योजनाएं बनाएगी।

48. स्वास्थ्य कार्यक्रमों की सघनता से मातृ मृत्यु–दर को भी नियंत्रित करने के लिए मेरी सरकार वचनबद्ध है। इतना ही नहीं, नारी को मातृशक्ति का सम्मान प्रदान करने के लिए व्यावहारिक योजनाएं बनायी जायेंगी।

49. समाज का सबसे कमजोर वर्ग उन निःशक्त और निराश्रित वर्गों का है, जो सरकार की मदद पर पूरी तरह निर्भर है। मेरी सरकार ऐसी समाजिक कल्याण की नीति बनायेगी, जिसमें विकलांग और निःशक्त

व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा में स्वाभिमान के साथ जुड़ने का अवसर उपलब्ध होता रहे। केन्द्रीय निःशक्त व्यक्ति कानून को प्रभावी ढंग से और संवेदनशीलता के साथ लागू किया जाएगा। मेरी सरकार निःशक्तों के बहुआयामी पुनर्वास के प्रचलित 'चुनौती' अभियान को तेजी के साथ आगे बढ़ायेगी, और इसमें सामाजिक संस्थाओं, पंचायतों और नगरीय निकायों की भागीदारी को सुदृढ़ करेगी।

50. कार्यभार संभालते ही मेरी सरकार ने एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का दायरा बढ़ाने का निर्णय लिया है। मेरी सरकार चाहती है कि राज्य की कोई भी महिला निराश्रित नहीं रहे। 18 वर्ष से 50 वर्ष आयु वर्ग की विधवाएं और परित्यक्ता महिलाएं जो निराश्रित हैं, उनकी स्थिति सबसे चिन्तनीय है। अब इस आयु वर्ग को भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ देने के लिए मेरी सरकार ने **इंदिरा सहारा योजना** लागू करने का निर्णय लिया है। ऐसी महिलाओं को रोजगार तथा स्व–रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के प्रयास भी किये जायेंगे।

51. मेरी सरकार वृद्धजनों को समाज में प्रतिष्ठित करने, उनके अनुभवों का लाभ समाज को देने, उनकी सृजनात्मक क्षमताओं का उपयोग नई पीढ़ी को प्रशिक्षित करने में तथा पीढ़ियों के बीच भावनात्मक अंतर पाटने के संबंध में, जनचेतना की योजना बनाएगी। मेरी सरकार मानती है कि वृद्धजनों के अनुभव नई पीढ़ी के लिए न सिर्फ अत्यंत उपयोगी है, अपितु वे जीवन की वास्तविक धरोहर भी हैं, जिन्हें संजोकर ही सभ्य समाज का विकास हो सकता है।

52. मेरी सरकार राज्य में स्वस्थ तथा खुशनुमा वातावरण बनाने की पक्षधर है। इसलिए राज्य में ऐसे जनजागरण अभियानों को प्रेरित करेगी, जो समाज को नशामुक्ति की ओर ले जाते हैं। इस काम के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग लिया जाएगा।

53. मेहनतकश मजदूरों की विभिन्न समस्याओं और जरूरतों को मेरी सरकार पूरी गंभीरता के साथ महसूस करती है। श्रमिकों की समस्याओं का त्वरित निराकरण और उन्हें श्रम–कानूनों का समुचित लाभ दिलाना मेरी सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश में इस समय केवल छः श्रम न्यायालय और एक औद्योगिक न्यायालय कार्यरत हैं, मेरी सरकार राज्य में श्रमिकों की बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए श्रम अदालतों की संख्या बढ़ाने पर विचार करेगी। मेरी सरकार राज्य कर्मचारी बीमा योजना में पंजीकृत श्रमिकों को चिकित्सा सुविधा सुलभता से मुहैया करवाने के लिए अतिरिक्त औषधालयों और आंतरिक चिकित्सालयों का प्रस्ताव भी बनाएगी। बीड़ी श्रमिकों और हमालों की आवास योजना को गति प्रदान करेगी।

54. मेरी सरकार का संकल्प है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, देश की सर्वश्रेष्ठ राजधानी के रूप में विकसित हो। छत्तीसगढ़ की नयी राजधानी को अद्वितीय बनाने के लिए मेरी सरकार ने राजधानी

परियोजना को सुदृढ़ करने का निर्णय लिया है। इस नवीन नगर नियोजन के लिये ग्लोबल निविदा बुलाने का प्रस्ताव है। नई राजधानी के विकास के लिए यथासंभव निजी निवेश को भी बढ़ावा दिया जायेगा।

55. इसके साथ ही मेरी सरकार राज्य के शहरों के सुनियोजित विकास की पक्षधर है। शहरों का विकास इस तरह होगा कि वहां समस्त नगरीय संविधाएं उपलब्ध हों, शहरों का वातावरण खुशनुमा, स्वास्थ्यवर्द्धक तथा प्रेरक बने।

56. सूचना क्रांति के दौड़ में छत्तीसगढ़ अन्य राज्यों की तुलना में पिछड़ना नहीं चाहेगा। इस दिशा मे मेरी सरकार सूचना प्रौद्यागिकी के प्रचलित कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के साथ यह प्रयास करेगी कि सूचना प्रौद्यागिकी के उपयोग से प्रशासनिक क्षमता और दक्षता बढ़े, नागरिक सुविधाएं सहजता से उपलब्ध हों, शासन प्रणाली में परदर्शिता बढ़े और इस प्रौद्योगिकी का दोहन जनसामान्य की जरूरतों के लिए किया जाए। राज्य की सूचना प्रौद्योगिकी नीति को छत्तीसगढ़ की जनता के सूचना के अधिकारों के साथ जोड़ा जाएगा।

57. सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए वातावरण बनाने के लिए मानव संसाधन के विकास पर मेरी सरकार जोर देगी। भिलाई और अन्य शहरों में सॉफ्टवेयर पार्क विकसित करने और प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में हार्डवेयर उत्पादन के निवेश को मेरी सरकार प्रोत्साहित करेगी। मेरी सरकार ने केन्द्र से प्रदेश में अन्तरराष्ट्रीय गेट–वे हब स्थापित करने का भी आग्रह किया है जो सॉफ्टवेयर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। सभी विकासखण्डों को राजधानी से सूचना संजाल में जोड़ने के लिए तथा नागरिक सेवाओं और शासकीय सूचना प्रणाली के लिए आवश्यक डाटा वेयर हाऊसिंग परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से 'ई–गवर्नेन्स' के लिए लागू किया जाएगा। राज्य की परिवहन व्यवस्था को सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग, जैसे–स्मार्ट कार्ड परियोजना, द्वारा युक्तियुक्त किया जाएगा।

58. मेरी सरकार राज्य के लिए विकासोन्मुखी औद्योगिक नीति तैयार करेगी, जिसमें सुदृढ़ प्रशासकीय व्यवस्था, प्रक्रिया में पारदर्शिता, अधोसंरचना विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी, कृषि पर आधारित उद्योगों के विकास, श्रम कानूनों के सरलीकरण, निर्यात प्रोत्साहन, सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित उद्योगों के विकास तथा विदेशी पूंजी निवेश को आकर्षित करने हेतु समुचित प्रावधान किए जाएंगे। राज्य में स्थापित बीमार एवं बंद इकाईयों के पुनरोद्धार हेतु भी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। आदिवासी बाहुल्य जिलों के लिए विशेष योजना तैयार की जाएगी। ग्रामीण उद्योगों विशेषकर हाथकरघा एवं हस्तशिल्प उद्योग के विकास पर जोर दिया जाएगा।

59. मेरी सरकार यह मानती है कि राज्य की प्रचलित कराधान व्यवस्था में सुधार की गुंजाईश है। कराधान से संबंधित अधिनियमों एवं नियमों की समीक्षा करते हुए इस व्यवस्था में ऐसा परिवर्तन किया जाना

चाहिए, जिससे राज्य की कर–आय में वृद्धि के साथ–साथ प्रशासन सरल हो। इस उद्देश्य से मेरी सरकार ने कराधान एवं राजस्व समिति गठित की है, जिसमें उद्योग, व्यवसाय, उपभोक्ता और कर विशेषज्ञों इत्यादि का प्रतिनिधित्व है।

60. मेरी सरकार का मानना है कि जनसमस्याओं को संवेदनशीलता और संतुलित उदारता के साथ सही समय पर सुलझाने के प्रयास ज्यादा अर्थपूर्ण हैं, बजाए कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति निर्मित होने पर नियंत्रण के। मेरी सरकार ने पुलिस सुधार की दिशा में काम करना प्रारंभ कर दिया है। इससे पुलिस बल के विभिन्न स्तरों द्वारा जनता का विश्वास अर्जित करने में सहायता मिलेगी। छत्तीसगढ़ पुलिस के आधुनिकीकरण और बल की पर्याप्तता को सुनिश्चित करने के लिए मेरी सरकार केन्द्र से आवश्यक सहायता लेगी। राज्य में नक्सलवाद की समस्या से निबटने के लिए पुलिस कार्यवाही केवल एक पहलू है। इस समस्या के शाश्वत् हल के लिए सामाजिक–आर्थिक विकास को गति देने हेतु मेरी सरकार कटिबद्ध है।

61. छत्तीसगढ़ की ग्रामीण जनता को सस्ता और सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के लिए मेरी सरकार ने **ग्राम न्यायालय अधिनियम** को आगामी 18 दिसम्बर से लागू करने का निर्णय लिया है। यह छत्तीसगढ़ के लिए एक ऐतिहासिक तारीख है, क्योंकि 18 दिसम्बर को ही छत्तीसगढ़ के महान समाज सुधारक संत गुरू घासीदास जी की जयंती मनाई जाती है, जिसे इस वर्ष से मेरी सरकार ने गुरू जयंती पर्व के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। ग्राम न्यायलयों की शुरूआत के लिए यह एक शुभ अवसर होगा। ग्राम न्यायालयों की इस नई व्यवस्था में 10 या उससे अधिक पंचायतों को मिलाकर एक ग्राम न्यायालय बनाया जाएगा। इन्हें स्थानीय स्तर पर सुलझाए जा सकने वाले अनेक मामलों में गांव स्तर पर ही निर्णय लेने में व्यापक अधिकार होंगे।

62. मेरी सरकार की स्पष्ट धारणा है कि राज्य में प्रत्येक नागरिक को सम्मानपूर्वक जीने तथा जीविकोपार्जन का अधिकार है। मेरी सरकार सार्वजनिक महत्व के सभी कार्यालयों, सेवाओं, सुधारगृहों, बंदीगृहों इत्यादि पर विशेष निगरानी की व्यवस्था रखेगी, जहां मानवाधिकारों के हनन की आशंका बनी रहती है। प्रशासन के प्रत्येक अंग, और जनता के संपर्क में आने वाले सरकारी अधिकारी तथा कर्मचारी वांछित सहानुभूति तथा विनम्रता से जनसेवा करेंगे। मानवाधिकार हनन के प्रकरणों में सख्ती से कार्यवाही की जाएगी। राज्य के लिए पृथक मानव अधिकार आयोग के गठन की दिशा में भी मेरी सरकार प्रयासरत् है।

63. मेरी सरकार ने शासकीय कर्मचारियों के हित में भी पिछले एक माह में कई कल्याणकारी फैसले लिए हैं। शासकीय कर्मियों को मंहगाई भत्ते की बकाया किश्त जारी कर दी गई है। इसी तरह हटाए गए दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की समस्याओं पर मानवीय दृष्टिकोण के साथ सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उन्हें रिक्त पदों के विरूद्ध पात्रतानुसार समुचित प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया है।

64. मेरी सरकार नए राज्य की जनता की सेवा के लिए मध्यप्रदेश से छत्तीसगढ़ भेजे गए शासकीय कर्मचारियों की समस्याओं को भी पूरी संवेदनशीलता के साथ महसूस करती है। ऐसे कर्मचारियों के लिए मेरी सरकार बेहतर आवास सुविधा मुहैया कराने के उपाय कर रही है।

65. मेरी सरकार नागरिक–जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, जनता को विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं का समुचित लाभ दिलाने के लिये वचनबद्ध है। मेरी सरकार जनता के प्रति संवेदनशील है और सादगी के साथ जनसेवा करते हुए नये राज्य के निर्माण में आप सभी का तथा प्रदेश की जनता का सहयोग चाहती है। आप सभी को आने वाले नये साल की शुभकामनायें।

।। जय–हिन्द ।।